बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

सूचना

विज्ञापन संख्या–08/2018 के अन्तर्गत सहायक बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 01.02.2020 को आयोजित मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षफल आयोग के वेवसाईट पर प्रकाशित कर दी गयी है।

उक्त परीक्षाफल में चयनित अभ्यर्थियों की शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण–पत्रों का सत्यापन (Certificate Verification) एतदर्थ गठित टीम द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, 15 नेहरू पथ पटना में दिनांक 20.02.2020 को 10.30 बजे पूर्वाह्न से Certificate Verification की समाप्ति तक की जायेगी।

प्रमाण–पत्र सत्यापन के लिये संबंधित अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति तथा उसकी दो स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लायेंगे।

1. मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र।
2. इण्टरमीडिएट, स्नातक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र।
3. अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र।
4. अगर नियोजित हो तो नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण–पत्र।
5. अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र (आरक्षित कोटि के अनूसुचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए)।
6. अंचल अधिकारी/जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र (पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)।
7. महिला अभ्यर्थियों के लिए उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र/क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।
8. दिव्यांगता आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।
9. स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी द्वारा आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत विहित प्रपत्र में प्रमाण–पत्र।
10. विहित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन का सार दो प्रतियों में (विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है)।
11. विज्ञापन संख्या–08/2018 से संबंधित निर्गत प्रवेश–पत्र (Admit card)।
12. पासपोर्ट साईज का 04 (चार) फोटो।
13. अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ–पत्र की सभी प्रमाण–पत्र सही है तथा आपके विरूद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है एवं आपका आचरण प्रतिकूल नहीं है।
14. फोटोयुक्त पहचान–पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर आई–डी कार्ड/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि।
15. प्रमाण–पत्रों के सत्यापन/जांच में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

13.2.20

संयुक्त सचिव–सह परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना